न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 603 / 2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भानाराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी– मोगडा कला तहसील जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बावडी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बावडी के द्वारा पारित आदेश कमांक राज / 375 दिनांक 03.05.2019 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांटरा की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश 03.05.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से न्याय, नियम, अभिलेख एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध, मनमाना व स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रकिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई सूचना का नोटिस नहीं दिया व न ही अपीलाधीन आदेश पारित करने के समय वे उपस्थित रहे थे। हाल ही पटवारी हल्का से अपने खेत की जमाबन्दी की नकल लेने के लिये, तो रेकार्ड देखकर बताया कि आपके खेत पुराने ख0सं0 139 को अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 3.5.2019 की पालना में सामलात में खातेदारी में जरिये नामा0 के दर्ज कर दी गई है तब अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश की नकले हेतु आवेदन कर दिनांक 16.11.2023 को प्राप्त की। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रथम बार अपीलार्थीगण को हुई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी सेवगांव पटवार हल्का सेदकीकला के ख0सं0 139/29 रकबा 04.00 बीघा गैर मुमकीन भाखर का आवंटित खातेदार काश्तकार है जिसके खाता शुरू से जमाबंदी में अलग नम्बर डाले हुए है तथा मौके पर भी रकबा सामलाती नहीं है तथा उसकी नक्शा तरमीम अलग की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा ख0सं0 139 के समस्त बटटा नम्बर का एक ही खाता होना मानकर तरमीम नहीं होना कहते हुए इसके समस्त बटटा नम्बर के खातेदारान को सम्मिलित एकीकृत करते हुए पुनः एक खसरा नम्बर 139 डालते हुए समस्त बटटा नम्बरान के खातेदारान को सहखातेदार दर्ज करने का आदेश देने में भारी गंभीर त्रुटि की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वनटूवन मिलान के मध्यनजर रिकार्ड व मौका व नक्शे में भिन्नता होना मानकर सम्पूर्ण बटटा नम्बर का एकीकरण करने का आदेश दिया है, वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज0 भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियमों के विरुद्ध एवं उनकी अनदेखी करते हुए पारित किया गया है जबकि उक्त नियमों में किसी खसरा नम्बर से कोई आंशिक भाग हस्तानान्तरण हो या आवंटन हो तो उसको अलग से जहॉ उसका आवंटन किया गया है, उसी जगह तरमीम करने और रेकार्ड तैयार करने के अनिवार्य प्रावधान दिये गये है। इन प्रावधानों को बिना देखे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही का कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया और न ही उनको सुनवाई का मौका प्रदान किया गया था जबकि उसके अधिकार अभिलेख में परिवर्तन करने का आदेश बिना खातेदार की सुनवाई का मौका दिये बिना नहीं किया जा सकता था जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि मूल खसरा संख्या 139 की समस्त बटटा नम्बर के खातेदार मौके पर अलग–अलग अपने रकबे पर काबिज है तथा सभी सामलात में काबिज नहीं है। इसलिये सामलात में खातेदारी दर्ज किया जाना खातेदारान के हक अधिकारों पर कुठाराघात करने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

वाली कार्यवाही सम्पादित की गई है। उक्त मूल खसरा 139 के बटटा नम्बर की भूमि पर अलग अलग खातेदार मौके पर काबिज है सभी सामलात में काबिज नहीं है तथा खनन विभाग का खसरा होने से अपीलान्ट व अन्य लोगों को आवंटन कर मौके पर ना कर कब्जा सुपुर्द किया गया। ऐसे में राजस्व अधिकारियों को उक्त खनन वाली भूमि पर कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2019 को निरस्त किया जावे एवं उसके परिणामस्वरूप दर्ज किये गये नामान्तरकरण को भी अपीलार्थीगण के हिस्से तक निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बावडी की ओर से ग्राम सेवगांव के वादग्रस्त उपरोक्त खसरान की भूमि बाबत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी सेग्रीगेशन के समय हुई अभिलेख त्रुटि की दुरूस्ती हेतु आवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू0 अ0 निरीक्षक एवं तहसीलदार की ओर से की गई अनुशंषा के आधार पर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.05.2019 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थीगण को आवंटित खसरा संख्या 139/29 रकबा 4.00 बीघा भूमि ग्राम सेवगांव वक्त आवंटन से रिकार्ड में दर्ज है जिसकी पृथक पहचान है व मौके पर उनका कब्जा काश्त है। इसके बावजूद हितबद्ध पक्षकारान को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही खसरा संख्या 139 के बटटा नम्बरान को एकीकृत किये जाने का पारित किया गया अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2019 को बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 375 दिनांक 03.05.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के खसरा संख्या 139/30 रकबा 4.00 बीघा भूमि ग्राम सेवगांव, तहसील बावडी की अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2019 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय आज दिनांक 28 मार्च 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर